

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध वाद संख्या- 12/2014-15

—:आदेश:—

सूची 14-फारम सं0 563

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

15/01/19

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक रोशन जमाल अंसारी, पिता सलीम अंसारी, सा0 उकरीद बस्ती, थाना बी0एस0सिटी, जिला बोकारो से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

विवादित भूमि			
मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
तेतुलिया	52	422, 423, 424	0.69ए0

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा तेतुलिया, खाता सं0 52 के अन्तर्गत कायम जमाबंदी सं0 602, 608, 609, 488 एवं 77 गलत तरीके से कायम की गई है। उनके द्वारा कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा इस वाद में अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया। साथ ही इस वाद में दिनांक 21.11.2017 से उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे हैं। न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 22.03.2018 को सूचना निर्गत किया गया, परन्तु उक्त सूचना के बावजूद भी उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारों को इस वाद में अब कोई अभिरुची नहीं है।

अतः उभय पक्ष के इस वाद में अभिरुची नहीं रहने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।